

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

कंचन शर्मा

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य


दाखिल खारिज अपील वाद संख्या19...../2020-21

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदिका कंचन शर्मा, पति- गंगा शर्मा, साकिन- सोनतुरपी, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा आवेदन देकर द्वितीय पक्ष- झारखण्ड सरकार (अंचल अधिकारी बगोदर) एवं अन्य द्वारा निम्नांकित भूमि का दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 41 R27/2019-20 को अस्वीकृत कर देने के फलस्वरूप दाखिल खारिज अपील वाद दायर करने का अनुरोध किया गया है। जमीन का विवरण निम्नवत् है :-

दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 41 R27/2019-20				
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
जरमुने	108	103	1440	3.5 डी०

अतः उभय पक्ष को नोटिश निर्गत करते हुए अभिलेख दिनांक 26-8-2020
..... को रखें।


17/8/2020
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

4/08/21

आदेश हेतु अभिलेख
उपस्थापित। पुश्तागत बाद
नामांतरण बाद सं० 4/ R27/2018-19
में दिनांक 18/03/2019 को अंचल
अधिकारी, बगोदर द्वारा
पारित आदेश के विरुद्ध
प्रारम्भ किया गया।

अंचल अधिकारी द्वारा
अपने आदेश में अंकित किया
गया है कि आवेदिका द्वारा
खतिदान की प्रति आवेदन के
साथ Upload नहीं किया है
तथा ऑनलाईन उपलब्ध
नहीं है। अतः नामांतरण
अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपने
लिखित अभिकथन में अंकित
किया गया है पुश्तागत भूमि
मनोरमा देवी प्रति रंजीत कुमार
मायलवाल से विद्युत पत्र
सं० -1078, दिनांक - 06/03/2018
के द्वारा हासिल किया गया
है। खरीदारी के पश्चात् अपीलकर्ता
का इरवल कठजा पुश्तागत
भूमि पर है। उनके द्वारा विद्युत
पत्र की छाया प्रति तथा
ऑनलाईन पंजी - II की
प्रति दारिकल किया गया
है।

दारिकल विद्युत पत्र

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

एवं पंजी - II का अवलोकन किया। अन लाईन पंजी - II में रकना - 103, प्लॉट - 1440 रकबा 10.50 डी. जमीन की जमाबंदी भूमि विवेचना मनोरमा देवी के नाम से कायम है।

उक्त विवेचन के आलोक में अधील को स्वीकृत करने हुये अंचल अधिकारी, बड़ोदर के आदेश को रद्द किया जाता है। अधील की कंचन शर्मा के नाम नामांतरण को स्वीकृति दी जाती है।

आदेश को पुनः अंचल अधिकारी को भेजे।

बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

L. पंडित